THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY) : (a) to (c) Reports from the State Government are awaited.

महिलाओं पर अत्याचार

2366. श्री राम जेठमलानी

सरदार अगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचारों में भी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं पर किए गए अत्याचारों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार इन अत्याचारों को रोकने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) वर्ष, 1987 से 1989 के दौरान औरतों के प्रति किए गए अपराधों के दर्ज मामलों की संख्या का विवरण संलग्न है। (विवरण नीचे देखिए)

(ख) और (ग) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में "औरतों के प्रति अपराध" शीर्षक के अंतर्गत वर्ष, 1987 से 1989 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या के ब्यौरों का विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 154 अनुपत्रसंख्या 108]

(घ) और (ङ) औरतों के प्रति किए गए अपराधों सहित अन्य अपराध को दर्ज करने, जांच करने, पता लगाने और उन्हें रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। औरतों सहित समाज के सभी वर्गों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाना और अपराध मामलों का शीघ्र निपटान करने का कार्य उनका है।

विवरण

वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान औरतों के प्रति अपराध के रूप में दर्ज किए गए मामलों की संख्या का विवरण

		1987	1988	1989
1.	बलात्कार	7,767	8,706	8,207
2.	अभद्र व्यवहार	16,292	17,836	18,437
3.	चेन खींचना	3,740	4,162	उपलब्ध नहीं है।
4.	औरतों और लड़कियों का अपहरण	9,016	9,633	9,202
5.	छेड़छाड़	7,270	10,109	9,478
6.	दहेज मृत्यु	1,912	2,209	3,829